न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 72/2025 तारीख रजू :– 18.08.2025

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

1. रामचरण पुत्र मदन्या
2. शिवचरण पुत्र मदन्या

जाति मीना निवासी सांकरवाडा तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0

सायलान

बनाम

1. मदन्या पुत्र श्योपाल
2. राजेन्द्र पुत्र गिर्राज
3. गिर्राज पुत्र मदन्या

जाति मीना निवासी सांकरवाडा तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0

4. सुनीता पुत्री मदन्या पत्नि भागचन्द जाति मीना निवासी सांकरवाडा हाल निवासी पदमपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
5. रेशम पुत्री मदन्या पत्नि कैलाश जाति मीना निवासी सांकरवाडा हाल निवासी सादपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0
6. उप पंजीयक तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
7. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी की ओर – जाकिर खांन एडवोकेट

निर्णय दिनांकः–06/02/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 1134/806/0.48, 803/0.01, 804/0.01, 805/0.02, 861/0.01, 862/0.40,

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

863/0.47 कुल किता 7 कुल रकवा 1.40 है0 ग्राम सांकरवाडा तहसील टोडाभीम में स्थित है वर्तान रेवेन्यू रिकार्ड में गैरसायल नं0 1 रिकोर्डेड खातेदार है। उक्त आराजीयात सहित कुल किता 12 कुल रकवा 2.81 है0 ग्राम सांकरवाडा तहसील टोडाभीम गैरसायल नं0 मदन्या व घासी पि0 श्योपाल मीना के नाम दर्ज थी विभाजन से गैरसायल नं0 1 के हिस्से में मुतजिकरा मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी आई है तथा उक्त आराजी मदन्या व घासी को अपने पिता श्योपाल पुत्र देवराम से मिली है जो जमाबन्दी सम्वत् 2029–2032 से स्पष्ट है।

सायलान एवं गैरसायलान नं0 1 ता 5 एक ही बुजुर्गान की सन्तान है जिनका सजरा निम्न प्रकार है।

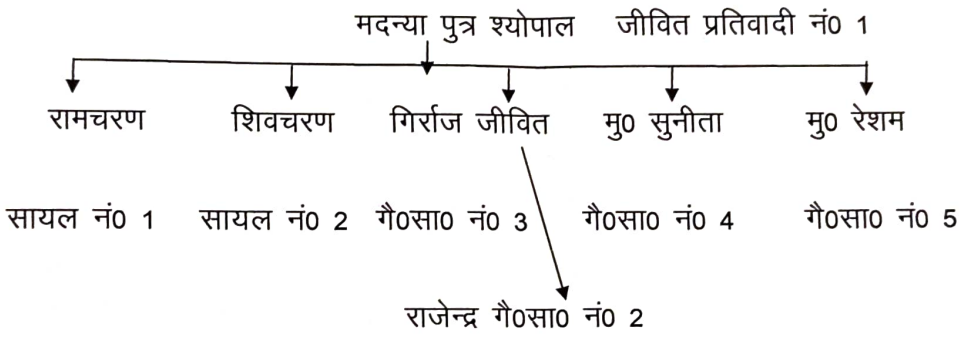

प्रार्थना पत्र में वर्णित साविक खसरा नम्बरान को सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर निम्नप्रकार कायम किये है।

नवीन ख0नं0	रकवा	साविक ख0न0	रकवा
803	0.01	531	04 बीघा 05 विस्वा
804	0.01		
805	0.02		
1134/806	0.48		
861	0.01	481	03 बीघा 09 विस्वा
862	0.40		
863	0.47		

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उक्त आराजी सायलान व गैरसायलान नं0 3 ता 5 के बाबा व गैरसायल नं0 1 के पिता श्योपाल के नाम खातेदारी में थी गैरसायल नं0 1 को श्योपाल से विरासत में मिली है जिसमें सायलान का वाई बर्थ हिस्सा है गैरसायल नं0 2 गैरसायल नं0 3 का पुत्र है श्योपाल सालयान व गैरसायलान 3 ता 5 के बाबा लगते है उक्त आराजी को सायलान एवं गैरसायलान 1 व 3 ता 5 अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त कर रहे है उक्त आराजी खातेदारी गैरसायल नं0 1 के नाम दर्ज है। पेत्रिक आराजी होने तथा सायलान का कब्जा होने के कारण सायलान प्रत्येक 1/6, 1/6 हिस्से की खातेदारी अपने नाम कराने के हकदार है।

बांका दिनांक 10.08.2025 का है सायलान अपनी कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 863 में अगली फसल के लिये सूल बबूल साफ कर रहे थे कि गैरसायल नं0 3 अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर आराजी पर आया तथा खेत को दिखाने लगा सायलान द्वारा पूछने पर गैरसायल नं0 3 कहने लगा कि उक्त आराजी का बेचान कर रहा हूँ सायलान द्वारा यह करने पर कि उक्त आराजी हमारे कब्जे में है तथा हम ही काश्त कर रहे है इतना सुनते ही गैरसायल नं0 3 नाराज हो गयो तथा कहने लगा कि मैने उक्त आराजी हमारे पिता मदन्या से अपने पुत्र राजेन्द्र तथा बहिने रेशम व सुनीता के नाम ख0नं0 861, 862, 863 किता 3 कुल करवा 0.88 है0 भूमि का दान करा लिया है अतना सुनते सायलान हंके बक्के रह गये तथा जानकारी करने पर पता चला कि गैरसायलान द्वारा आपस में साज करके सालयान के हिस्से की आराजी सहित उक्त आराजी ख0नं0 861, 862, 863 किता 3 कुल रकवा 0.88 है0 का दानपत्र गैरसायल नं0 1 से गैरसायल नं0 2 व गैरसायल प्रतिवादी नं0 4 व 5 के कि में करा लिया है जो बमुकावले सायलान शून्य प्रभावी है क्योकि उक्त आराजी पेत्रिक आराजी है तथा सायलान के पिता मदन्या की उम्र 84 साल है तथा उनकी सोचने समझने की वृद्धावस्था होने के कारण क्षमता नहीं रही है। उनको मुगालता देकर उनकी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर उक्त तथाकथित दानपत्र दिनांक 04.08.2025 को बहक गैरसायल नं0 2, 4, 5 करा लिया है जिसमें गवाह भी एक दूसरे का बनाया जो एकदम गलत फर्जी बनावटी व साजसी है तथा सायलान के मुकावले शून्य प्रभावी है। सायलान द्वारा यह करने पर कि उक्त आराजी हमारी है तथा तुमको पता है कि हमारे कब्जे में है इस पर गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि उक्त आराजी हमारे नाम हो जाने दे हमउ क्त आराजी से तुमको बेदखल करके रहेगें तथा बेचान करके रहेगें। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तथा सायलान को अपने कब्जे व हिस्से

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

की आराजी से बेदखल कर आराजी का बेचान कर दिया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार द्रव्य में भी संभव नहीं हो सकेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान वखिलाफ गैरसायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0नं0 1134/806/0.48, 803/0.01, 804/0.01, 805/0.02, 861/0.01, 862/0.40, 863/0.47 कुल किता 7 कुल रकवा 1.40 है0 ग्राम सांकरवाडा तहसील टोडाभीम में सायलान के कब्जेकाश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे सायलान को बेदखल नहीं करे आराजी को रहन व्यय नहीं करे मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री जाकिर खान उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकतम तथ्यो को अस्वीकार किया तथा भूमि खसरा नम्बर 803, 804, 805, 1134/806, 861, 862, 863 कुल किता 7 कुल रकवा 1.40 है0 ग्राम सांकरवाडा में स्थित है जो गैरसायलान नं0 1 की खातेदारी की भूमि है तथा गैरसायल नं0 का ही कब्जा है। गैरसायल नं0 1 के पिता का नाम श्योपाल होना सही दर्ज है। श्योपाल की सन्तान गैरसायल नं0 1 है तथा उक्त आराजी वर्तमान में गैरसायल नं0 1 के खाते की भूमि है। जिसमें सायलान का कोई हिस्सा गैरसायल नं0 1 के जीवित रहते हुये नहीं है। गैरसायल नं0 1 जीवित है तथा सम्पत्ति के बंटवारे का कानूनी अधिकार पिता गैरसायल नं0 01 की मृत्यु के बाद होता है। इस प्रकार भूमि उपरोक्त आराजी का एक मात्र मालिक गैरसायल नं0 1 है तथा भूमि गैरसायलान नं01 के नाम दर्ज है तथा कानूनन उक्त सम्पत्ति गैरसायलान नं0 1 के खाते में होने से व उसकी स्व अर्जित सम्पत्ति मानी जावेगी। इस मद में सायलान जो इबारत जिस प्रकार तहरीर की है स्वीकार नहीं है। गैरसायल नं0 1 के जीते जी सायलान अपनी भूमि का बंटवारा कराने का हकदार नहीं है। शेष उज्रात मजीद में दर्ज है।

दिनांक 10.08.2025 को कोई घटना घटित नहीं हुई। इस मद में सायलान द्वारा गैरसायल नं0 1 का कम अक्ल होना सोचने–समझने की क्षमता नहीं होना, बिल्कुल गलत बदनियतिपूर्व दर्ज कराया है। वास्तविकता यह है कि गैरसायल नं0 1 से गैरसायल नं0 3, 4, 5 के हक में जो दानपत्र करवाया है राजीखुशी पूर्ण होशों हवास में

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

बिना किसी दवाब के स्वेच्छा से किया गया है। जिसको करवाने का कानूनी अधिकार गैरसायल नं0 1 को है। गैरसायल नं0 1 ने दान पत्र सम्पूर्ण भूमि का नहीं करवाया गया हो बल्कि केवल भूमि खसरा नम्बर 861, 862, 863 कुल किता 3 कुल रकबा 0.88 है0 भूमि में रेश, सुनीता व राजेन्द्र को 1/3, 1/3 हिस्से का दानपत्र करवाया गया है। गैरसायल नं0 4 व 5 गैरसायल नं0 1 की सगी पुत्रियां है तथा गैरसायल नं0 2 प्रपौत्र है। गैरसायलान नं0 2, 4, 5 गैरसायल नं0 1 की देखभाल करते है भरण–पोषण करते है जबकि सायलान गैरसायल नं0 1 को मानसिक रूप से प्रताडित करते है। लडाई–झगडा करते है तथा ताकत के बल पर गैरसायल नं0 1 की सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा सायलान गैरसायल नं0 1 की पुत्रियां 4 व 5 को कभी भी अपने घर नहीं बुलाते है ना ही सायलान अपनी बहिनों को भात–जामना देते है। भूमि खाता संख्या 132 स्थित ग्राम सांकरवाडा का गैरसायल नं0 1 एक मात्र मालिक है तथा उक्त भूमि पर गैरसायल नं0 1 का भूमि पर कब्जा है।

गैरसायल नं0 1 ने अपने खाते की भूमि में से राजीखुशी गैरसायल नं0 2, 3, 4 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्सा खसरा नम्बर 861, 862, 863 में से जरिये दानपत्र रजिस्टर्ड करवाया है। इस प्रकार कुल 0.88 है0 भूमि का दानपत्र करवाया है। शेष भूमि का मालिक व खातेदार गैरसायल नं0 1 है। सायलान भूमि के खातेदार नहीं है तथा गैरसायल नं0 1 के जीवित रहते हुये पुत्रों को पैतृक भूमि में भी किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में सायलान का केस प्राईमाफेसी साबित नहीं है। "माननीय राजस्व मण्डल मुकदमा उनवानी अंकिता बगै0 बनाम ताराचन्द बगै0 2017 (2)आरआरटी 1362–2017 आरआरडी 732 में प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय दिया – जिसमें ये तर्क दिया गया कि पैत्रक भूमि में पूत्रों का जन्म से अधिकार है। भूमि के अविधिक रूप से हस्तान्तरण पर प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया – राजस्व मण्डल ने निर्णित किया कि पिता के जीवित होते हुये पुत्रों को पैत्रक भूमि में किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है।" ऐसी स्थिति में कानून के बिन्दु पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

गैरसायलान नम्बर 1 ने अपनी स्वेच्छा से दान पत्र गैरसायलान नं0 2, 4, 5 के हक में करवाया है। उक्त दानपत्र को केंसिल करने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ना ही दानपत्र को केंसिल करने हेतु कोई वादपत्र सिविल न्यायालय में पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में वादपत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र सायलान हेवी कोस्ट पर खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी गई। बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम सांकरवाडा के खसरा नम्बर 1134 / 806, 803, 804, 861, 862, 863 कुल किता 7 कुल रकवा 1.40 है0 की खातेदारी गैरसायल नं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है। प्रार्थी ने स्वंय के पक्ष को सिद्ध करने के लिये आवश्यक दस्तावेज पेश किये। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में सिद्धउं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात फैसला साक्ष्यो को आधार पर होना है अतः तब तक अभयपक्ष को पाबंद करने से उभय पक्ष को कोई अपुर्तनीय क्षति नहीं होगी।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण का स्वंय के कब्जे काश्त की आराजी पर काबिज होने के कारण उभयपक्षरान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 18.08.2025 को स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला करौली